

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି
/

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 2255RTA0157Jամaldin Vs Iամaldin Etc
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 1955 RTA0157Jամaldin Vs Iամaldin Etc
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି

କ୍ଷମା

1. ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ପୁଅ କଲମ୍ବରୀଙ୍କୁ ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଅ

ଗା

ଘ

ଅଧିକାରୀଙ୍କ

1. କଲମ୍ବରୀଙ୍କୁ ପୁଅ କଲମ୍ବରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
2. ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
3. ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

(1) 2018RTA0157Jամaldin Vs Iամaldin Etc



କ୍ଷମା

1. କଲମ୍ବରୀଙ୍କୁ ପୁଅ କଲମ୍ବରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
2. ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
3. ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଅ

ଗା

ଘ

ଅଧିକାରୀଙ୍କ

1. ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ପୁଅ କଲମ୍ବରୀଙ୍କୁ ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

(1) 2018RTA0157Jամaldin Vs Iամaldin Etc

(1) 2018RTA0157Jամaldin Vs Iամaldin Etc

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଗାମ୍ଭୀରୀଙ୍କୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

Handwritten signature and stamp at the top of the page.

Main body of handwritten text, likely a legal document or affidavit, written in Hindi.



Handwritten signature and stamp in blue ink at the top of the page.

बांशदास को से खासियत करमाणी जावे ।

कारण श्री सपट नही किया । अतः उक्त अपील स्याद
समाप्त सीमा अधिनिमित्त से विगत का कोई संशोधन
किये जाने हेतु पर्यटन प्रशासन अंतर्गत धारा 5 भारतीय
आर्थिक विगत से धन की वही है और विगत कण्डन
संख्या 2019/126 से अधिनियम द्वारा आगोच्य अपील
अधिनियम अधिनियम अधिनियम ने यह भी कहा कि अपील

अपील अंतः स्याद सुचारु की जावे ।

अपील धन करने में हुए विगत को समाप्त किया जाकर
है । अतः स्याद प्रशासन पर स्वीकार किया जावे तथा
23.08.2018 से यह अपील अंतः स्याद है धन की जा रही
किन्ती प्रकार का स्थान नही है प्रथम जानकारी विगत
अधिनियम को पढने पर सात हुआ कि इस समये पर
होकर उशी दिन धन ही बढ़, जिसको लेकर अपन
दिनांक 23.08.2018 को आदेवन किया जाे नकल तैयार
अधीनस्थी द्वारा अधिनियम आदेश की द्वारा नकल हेतु
से अधिनियम न्यायालय का कोई स्थान नही है, तब
नोट नमाने से नमान कर दिया तथा कहा कि इस समये
22.08.2018 को समये नं. 268 की नमानदी से स्थान
नकल लेकर नकल परवारी को दी जाे नकल नही विगत
अधिनियम ने निवेदन किया कि अधिनियम आदेश की
• अपील धन करने में हुए विगत के संघर्ष से अधिनियम के
प्राप्त किया जावे ।

समाप्त की भीम से रेफरेंस को नरिसे अस्थाई निवेदाज्ञा



श्री १५५
 श्री १५५ श्री १५५
 श्री १५५

नवाव श्री रेणु. इलमदीन वीरु (अपील संख्या 2018/157 श्री
 स्ट्रेचिड) की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि--

- गानगीय अफीनरुख न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध सचिका अधिवक्ता के तहसी के विरुद्ध कॉलेज. व इन्सपेक्शन अलाव इले के कारण विरुद्ध किया है। याम निवासादीन की वरती पटवार क्षेत्र देवसरी के खेत खसरा नं. 335 रकबा 104 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 338 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, एवं याम देवसरी तहसील बाप के खेत खसरा नं. 268 रकबा 51 बीघा 01 बिस्वा एवं इन्सपेक्शन खाँ की टापी पटवार क्षेत्र देवसरी तहसील बाप के खेत खसरा नं. 261 रकबा 146 बीघा 02 बिस्वा आइं इंड है, जिसकी खातेदारी अफीगाट संख्या 1 के नाम दर् है। उपरोक्त खसरा के श्री पर अफीगाट संख्या 1 का ही कला एवं कायत बना आ रहा है। याम इन्सपेक्शन खाँ की टापी पुराना गाँव देवसरी के खेत खसरा नं. 261 रकबा 146 बीघा 02 बिस्वा श्री अफीगाट संख्या 1 ने संखु खाँ पुन खान् खाँ गाँव मुसलमान से खरीद की थी। इस कारण उपरोक्त श्री अफीगाट संख्या 1 की खसरा की अतिव आय से खरीद हुई श्री है तथा उपर श्री श्रीक श्रीक श्रीक श्रीक है, इस कारण उपर श्री श्री स्ट्रेचिड का कोई एक बिस्वा नहीं बनता है। इस कारण अफीनरुख न्यायालय का आदेश विरुद्ध किया जावे। याम निवासादीन की वरती तहसील बाप के खसरा नं. 335 रकबा 104 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 338 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, याम देवसरी तहसील बाप के खसरा नं. 268 रकबा 51 बीघा 01 बिस्वा श्री अफीनरुख मुकदमा संख्या 79-17/95 श्रीमान



स्वयं वें संख्ये खां पुन श्री खान् खां मुसलमान निवारी देवारी से सवा
 2076 में दिनांक 09.02.1964 को खरीद किया, जिसका नामांतरण होकर
 अमल दरमाद हुआ। खसरा नं. 261 इलाक़े की खरीदखुदा स्व अजित
 संपति है। खुदाबखश वें अपने जीवन काल में मुस्लिम विधि के अनुसार
 में पारिवारिक बच्चाई में अपने पौतों को भी हिस्सा निज खसरा में दिया,
 उनमें अपने पुत्र इलाक़े को वही देकर पारिवारिक सवुलन रखा। इस
 प्रकार खसरा नं. 338, 335 व 268 की भाँज इलाक़े को पिता की
 मृत्योपरांत प्राप्त हुई, जिस पर इलाक़े के जीवित रहते उसके पुत्रों का
 कोई एक हिस्सा निहित नहीं होता है। इसी तरह ख. नं. 261 जो स्वयं
 इलाक़े की खरीद खरीद स्व अजित संपति है, उसमें उसके पुत्रों का
 कोई एक किलहाल निहित नहीं है। अतः अस्थाई विधेयाज्ञा के लिए
 निर्धारित किये जाने वाले तीन बिंदु यथा: - प्रथमदस्ता माजना, संधिया
 का सवुलन एवं अपरणीय भाँज माजना के अपेक्षाकृत इलाक़े के पक्ष
 में है। निजके संघ में अश्लीलस्थ ज्ययालय के अश्लील आदेश में
 निर्धारण होकर कोई निष्कर्ष नहीं है।

उपरोक्त विवेक एवं विधि के आगेक में अश्लील इलाक़े की
 अश्लील संख्या 126/2019 अजवाब इलाक़े वहीद वगैरह माजना की
 स्वीकार और अश्लील माजना की अश्लील संख्या 157/2018 अजवाब
 माजना की वगैरह अश्लील वहीद वगैरह अश्लील की जाकर अश्लील
 आदेश अपरस्व किया जाता है। आदेश की एक-एक प्रति पत्रक अश्लील
 पत्रावली में सवुलन की जाते।

विधायक सवुलन ज्ययालय में सवुलन रखा।

(असलदल वारकड)
 राजव अश्लील पाठिकाणी, जोधपुर

